






मु० न०:- 33 / 2022


तारीखरजु:- 14.2.2022

उनवान:- चन्दरी बनाम तहसीलदार वगै०
 दावा बाबत घोषणा तरमीम एवं स्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक	फर्द अहकाम
14/2/22	<p>वादी की ओर से श्री स्वदेश कुमार बुनकर एडवोकेट ने दावा बाबत घोषणा तरमीम एवं स्थायी निषेधाज्ञा आर. टी. एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम के जरिये तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम के बाहर के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस से तलब कर पत्रावली दिनांक 24.02.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  (दुर्गा प्रसाद मीना) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली </p>
24/2/22	<p>वादी वकील/वकील उमय नक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकाय... ने नाट्यी पत्रावली पत्रावली पत्रानुसार दिनांक 24.2.22 को पेश हो।</p>
24/3/22	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित प्रतिवादी नं०। पत्रावली पत्रावली पत्रानुसार दिनांक 24-3-22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  </p>
24-3-22	<p>वादी वकील/वकील उमय नक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकाय... ने नाट्यी पत्रावली पत्रावली पत्रानुसार दिनांक 24-3-22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  </p>
5-4-22	<p>वादी वकील उपस्थित / पोलाब राजकाय से नाट्यी पत्रावली पत्रावली पत्रानुसार दिनांक 05.04.22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  </p>
22-4-22	<p>वादी वकील/वकील उमय नक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकाय... के संग प्रक्रिया के पत्रावली पत्रानुसार दिनांक 22.4.22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  </p>

965
 14/2/2022







न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

दिनांक

फर्द अहकाम

14/5
2024

पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित नहीं हुआ। बार - 2 आवाज दिलाई गई। वादी वकील एवं वादीगण में से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

अतः दावा अदम्य हाजिरी एवं अदम्य पेशी में स्वारित किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

